

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 79/2022

बउनवान

राज0 सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों
(प्रार्थी)

बनाम

श्री शंकर सिंह सोलंकी पुत्र गोपाल सिंह(मौके पर मौजूद विक्रेता) निवासी मकान नं. 41 मोहनलाल सुखाड़िया नगर, कुन्हाड़ी जिला कोटा मैसर्स राधारानी दूध डेयरी, चरीघाट रोड, लंका कॉलोनी, जिला बारों

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री महेश कुमार शर्मा खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2- स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 06.01.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.05.2022 को मैसर्स राधारानी दूध डेयरी, चरीघाट रोड, लंका कॉलोनी, जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री शंकर सिंह सोलंकी पुत्र गोपाल सिंह(मौके पर मौजूद विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.07.2011 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 19.04.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। तथा कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **क्रीम(लूज) 10 किग्रा.** आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **क्रीम(लूज)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **क्रीम(लूज)** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत श्री शंकर सिंह सोलंकी पुत्र गोपाल सिंह(मौके पर मौजूद विक्रेता) को 240/- रूपये (अक्षरे दो सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **क्रीम(लूज)** को दिखाकर चार साफ-सूखे व खाली प्लास्टिक की बोतलों में भरकर तथा प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 16-16 बूंदें डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1417 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1417 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री शंकर सिंह सोलंकी पुत्र गोपाल सिंह(मौके पर मौजूद विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/133 दिनांक 14.07.2022 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 779/PHL/kota/Act/2022/781 दिनांक 16.05.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **क्रीम(लूज)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 30.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्जे रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **क्रीम(लूज)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मेरे द्वारा बाजार से दूध क्रय करके क्रीम निकाली जाती है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। मेरे विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 779/PHL/kota/Act/2022/781 दिनांक 16.05.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **क्रीम(लूज)** जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 779/PHL/kota/Act/2022/781 दि. 16.05.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 12,000/- रुपये (अक्षरे बारह हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारों (राज.)